प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(मा0),
उ0प्र0,लखनऊ।

सेवा में,

1— मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

2— जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः शिविर/ 5599-5695 /2022—23 दिनांक 20 मई, 2022

विषयः ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' दिनांक 31 मई, 2022 में यलो लाइन कैम्पेन एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र पत्र संख्या—792/पॉच—9—2022 दिनांक 26 मई, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा **''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' दिनांक 31 मई, 2022 में यलो लाइन कैम्पेन** एवं विभिन्न गतिविधियां आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में माध्यमिक शिक्षा विभाग को निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये हैः—

1) विद्यालयों में तम्बाकू/तम्बाकू से निर्मित पदार्थो गुटखा आदि से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बीमारी के बारे में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलायी जाय।
2) विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक/कर्मचारी, अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों द्वारा तम्बाकू का प्रयोग न किये जाने हेतु प्रदेश के प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण हेतु एक मॉनीटरिंग कमेटी बनायी जाय।
3) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम की धारा—6 के अन्तर्गत विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचना अपराध है, इससे सम्बन्धित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जाये।
4) विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चलाकर उक्त का अनुपालन कराया जाय, यदि विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचा जाता है तो इस सम्बन्ध में विद्यालयों द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किया जाय, जिससे पुलिस विभाग द्वारा कोटापा—2003 के अधिनियम की धारा—6 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
5) भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय हेतु निर्गत दिशा—निर्देश के अनुसार विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर अभियान चलाकर विद्यालयों के 100 गजे की दूरी तक यलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाय।
6) विद्यालयों में रैली, गोष्ठी, कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, निबन्ध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार—प्रसार किया जाय। उक्त गतिविधियों में 08 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों में पोस्टर/पेंटिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।
7) विद्यालयों में 14 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों में निबन्ध, रंगोली, प्रश्नोत्तर आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाय।
8) विद्यार्थियों में उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण भी किया जाय।
9) विद्यालय/संस्थान तम्बाकू मुक्त विद्यालय की श्रेणी में आये, उनका उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया जाय एवं फ्लैग के माध्यम से ''तम्बाकू मुक्त विद्यालय'' लिखवाते हुए प्रदर्शित किया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, उ0प्र0 शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26 मई, 2022 में दिये गये निर्देशानुसार ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' 31 मई, 2022 को मनाये जाने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ0 (सरिता तिवारी)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0,लखनऊ।

पृ0सं0ःशिविर/ 5599-5695 /2022—23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वॉलण्टरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

डॉ0 (सरिता तिवारी)
शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)
उ0प्र0,लखनऊ।

मा०प्रि०से०प्र० 26.5.22

संख्या- 785/पांच-9-2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2022

विषय:- ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' 31 मई, 2022 को आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 ''विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022'', "**Tobacco: Threat to our environment.** " थीम पर मनाया जाना है, जिस हेतु जनपद स्तर पर निम्न गतिविधियां आयोजित की जानी है:-

- जनपद स्तर पर जिला एवं ब्लॉक स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर तम्बाकू नियंत्रण दिवस हेतु कार्ययोजना तैयार करना।
- प्रति सप्ताह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग व अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी एवं चालान गतिविधि।
- एन0टी0सी0पी0, एन0पी0सी0डी0सी0एस0 एवं एन0एम0एच0पी0 कार्यक्रमों के अर्न्तगत कार्यरत काउन्सलर/साइकोलॉजिस्ट द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों के माध्यम से तम्बाकू का सेवन कर रहे बच्चो एवं व्यक्तियों की काउन्सलिंग करना।
- ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक में तम्बाकू उपभोग से होने वाली हानियों के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के माध्यम से जानकारी दी जाय।
- जन प्रतिनिधियों के सहयोग से व्यापक प्रचार-प्रसार।
- प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियों विजुअल व अन्य व्यापक प्रचार-प्रसार।
- शिक्षा विभाग के सहयोग से समस्त शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना एवं उनकी मॉनीटरिंग करना।
- भारत सरकार द्वारा पूर्व में ही अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर योग हेतु अनुरोध किया है साथ ही एक विशेष योग सत्र प्रत्येक हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर "**No Tobacco Pledge**" के साथ दिनांक-31/05/2022 से 31/06/2022 के मध्य आयोजित किया जाये (शपथ की छायाप्रति संलग्न)।
- जैसा की आप अवगत है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचना अपराध है एवं धारा 7 के अन्तर्गत बिना चित्रमय चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ नहीं बेचा जा सकता। अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम धारा 6 व 7 का अनुपालन कराया जाये।
- भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय हेतु दिशा-निर्देश के अनुसार विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर अभियान चलाकर सभी विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।
- आकाशवाणी एवं अन्य स्थानीय एफ0एम0 रेडियो चैनल के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।

- नगर/ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कूड़ा वाहनों में ऑडियो क्लिप के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार।
- जिला/उप जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलेक्ट्रानिक स्क्राल के माध्यम से तम्बाकू निषेध सम्बन्धित सूचना प्रसारण।
- जनपद/ब्लॉक स्तर पर रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
- आशा-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से ग्राम स्तर पर प्रचार-प्रसार।
- ग्राम पंचायत स्तर पर गठित VHSNC के माध्यम से ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान आयोजित करना।
- VHND आदि के माध्यम से गर्भवती महिलाओं व किशोर-किशोरियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना।
- एन0टी0सी0पी0/आर0बी0एस0के0/आर0के0एस0के0 टीम के द्वारा स्कूल कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समस्त गतिविधियों का आयोजन जिला स्तरीय नोडल अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक:-यथोक्त।</u>

भवदीय
(हस्ताक्षर) 25/5/22
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या- 785(1)/पांच-9-2022, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग/गृह विभाग/सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/खेलकूद विभाग/युवा कल्याण विभाग/परिवहन विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(वेद प्रकाश शर्मा)
विशेष सचिव

Sandeep 25/5/2022
25.5.'22

PLEDGE

On this occasion of World No Tobacco Day, I take a pledge that I shall never use or consume any type of tobacco products in my life. I shall motivate all my family members, friends and acquaintances also to not to use any tobacco products. I shall also contribute to protection of my environment from use of tobacco products.

शपथ

विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं यह शपथ लेता/लेती हूँ, कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगा/करूंगी एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा/करूंगी । इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने मे योगदान करूंगा/करूंगी I

Scanned by PDF Scanner

संख्या-792 /पाँच-9-2022

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
शिक्षा विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. **अपर मुख्य सचिव,**
गृह विभाग,
उ0प्र0 शासन।

3. **अपर मुख्य सचिव,**
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

4. **अपर मुख्य सचिव,**
ग्राम्य विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

5. **अपर मुख्य सचिव,**
परिवहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

6. **अपर मुख्य सचिव,**
खेलकूद/युवा कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

7. **अपर मुख्य सचिव,**
पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 शासन।

8. **प्रमुख सचिव,**
पर्यटन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

चिकित्सा अनुभाग-9 **लखनऊ:दिनांक 26 मई, 2022**

विषयः-"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस" 31 मई, 2022 में यलो लाइन कैम्पेन एवं विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि सभी अवगत है कि विभिन्न स्त्रोतों के आँकड़ों से ही ज्ञात होता है कि तम्बाकू से होने वाले बीमारियों का खतरा भयावह है। तम्बाकू का हर वर्ग में बढ़ता हुआ उपयोग एक महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य समस्या बन गया है। भारत में प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोग तम्बाकू के उपयोग के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो जाते है एवं लगभग 5500 नये युवा प्रतिदिन तम्बाकू का उपयोग प्रारम्भ करते है। आज के परिदृश्य में तम्बाकू एक ऐसी समस्या है, जिस पर चैतरफा दृष्टिकोण के साथ कार्य करने से ही सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति पर जितना गम्भीर प्रभाव पड़ता है। उतना ही प्रभाव उसके आस-पास के रहने वाले लोगों पर पड़ता है, जिसमें बच्चे एवं महिलाएं शामिल है। तम्बाकू के उपयोग के कारण कई घातक बीमारियां होती है, जिसमें हृदय रोग, श्वसन रोग तथा कैंसर प्रमुखता से हैं, जिसके लिये सभी सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थानों को समाज में आवश्यक जागरूकता फैलाने एवं तम्बाकू प्रयोग के रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक वर्ष दिनांक 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अतः इस वर्ष 2022 **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022"** **"Tobacco:Threat to our Environment."** थीम पर मनाया जाना है। जिस हेतु विभिन्न विभागों की भूमिका एवं अपेक्षायें निम्नवत् है-

शिक्षा विभाग

विद्यालयों में तम्बाकू/तम्बाकू से निर्मित पदार्थों गुटखा आदि से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक विसंगतियों और गंभीर बीमारी के बारे में बच्चों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता फैलाया जाय। विद्यालयों में तम्बाकू नियत्रंण हेतु एक मानिटरिंग कमेटी बनाया जाये जिससे विद्यालय प्रांगण में कार्यरत अध्यापक/कर्मचारी एवं अभिभावक द्वारा तम्बाकू का प्रयोग न किया जाये। इसके साथ ही साथ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचना अपराध है, इससे संबंधित बोर्ड भी प्रदर्शित किये जाये। अतः विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विशेष अभियान चला कर उक्त का अनुपालन कराया जाये यदि विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू बेचा जाता है तो इस सम्बन्ध में विद्यालयों द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किया जाये, जिससे पुलिस विभाग द्वारा कोटपा 2003 के अधिनियम की धारा 06 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार द्वारा तम्बाकू मुक्त विद्यालय हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के अनुसार विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर अभियान चला कर सभी विद्यालयों के वातावरण को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। इसके अतिरिक्त विशेष अभियान चलाकर विद्यालयों के 100 गज की दूरी तक यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से विद्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। विद्यालयों में रैली/गोष्ठी/कार्यशाला/नुक्कड़ नाटक/पोस्टर/निबंध प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाये। उक्त गतिविधियों में 08-14 वर्ष के बच्चों में पोस्टर/पेन्टिंग एवं 14 से ऊपर के बच्चों में निबंध/रंगोली/प्रश्नोत्तर आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये तथा बच्चों में उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण भी किया जाये। जो भी विद्यालय/संस्थान तम्बाकू मुक्त विद्यालय की श्रेणी में आये, उसका उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कृत किया जाये एवं फ्लैग के माध्यम से "तम्बाकू मुक्त विद्यालय" लिखवाते हुए प्रदर्शित किया जाये।

गृह विभाग

राज्य में कोटपा (2003) को सफलतापूर्वक लागू करने में गृह विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पुलिस के सहयोग के बिना चालान/दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना काफी कठिन है। पुलिस के सहयोग से कोटपा के अनुपालन को बल मिलेगा तथा छापेमारी एवं दण्ड व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी। साथ ही राज्य के सभी थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है, का साईन बोर्ड लगाते हुए इसका अनुपालन करवाया जाय एवं तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 को पुलिस की मासिक क्राईम रिव्यू बैठक में सम्मिलित कराया जाये। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी पुलिस कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये। यदि विद्यालय के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद बेचा जाता है तो इस सम्बन्ध में विद्यालयों के द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किये जाने पर पुलिस विभाग कोटपा 2003 के अधिनियम की धारा 06 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उक्त गतिविधियों हेतु पुलिस विभाग द्वारा रिर्पोटिंग सिस्टम बनाया जाये जिसमें कोटपा की धारा का उल्लघंन करने पर विद्यालय या छात्र द्वारा पुलिस विभाग को सूचित किया जाये।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग

इस विभाग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में तम्बाकू के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर निगरानी रखा जाए, ताकि किसी भी तम्बाकू पदार्थ का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सके। साथ ही

टेलीविजन/सेंसर बोर्ड के माध्यम से होने वाले तम्बाकू के ग्लमेराईजेसन को रोका जाय। सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के मुद्दे पर सघन अभियान चलाया जाए। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी सूचना एवं जन संपर्क कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जायें।

ग्राम्य विकास विभाग

ग्राम्य विकास विभाग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये तम्बाकू नियंत्रण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठा सकता है। विभाग से जुड़े स्वयंसेवी संस्थानों को भी तम्बाकू नियंत्रण में कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं। साथ ही विभाग तम्बाकू उत्पादन करने वालों को वैकल्पिक आजीविका के साधन उपलब्ध करा सकता है, उदाहरणस्वरूप-मनरेगा। साथ ही साथ ग्रामीणों में जागरूकता फैलाया जाए, लोगों को कोटपा के नियमों से अवगत कराया जाय एवं इस हेतु प्रचार-प्रसार भी किया जाए। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी ग्राम्य विकास कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

खेल एवं युवा विभाग

खिलाड़ियों को सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा के सेवन से होने वाली खतरनाक बीमारी से अवगत कराया जाए तथा खिलाड़ियों को खेल के दौरान यदा-कदा इस हेतु विरोध प्रदर्शित करने के लिए काली पट्टी का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया जाये। किसी भी तम्बाकू निर्माता कम्पनी से महोत्सव/खेल आयोजन हेतु किसी भी प्रकार की सहायता ना ली जाए। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी खेल एवं युवा कल्याण कार्यालयों तथा विभाग के अधीन आने वाले स्पोर्टस कालेजों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

परिवहन विभाग

परिवहन विभाग द्वारा बसों पर धुम्रपान न करने हेतु पोस्टर/नोटिस अंकित किया जाए तथा साथ ही बस के अंदर बैठे लोग धुम्रपान/गुटखा सेवन न करने के निर्देश अंकित करायें जायें। बस अड्डों एवं चेकपोस्टों पर धुम्रपान रोकने हेतु धूम्रपान निषेध क्षेत्र-यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है, के बोर्ड प्रदर्शित किए जायें। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी परिवहन कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

पर्यटन विभाग

पर्यटन विभाग द्वारा सभी पर्यटक स्थलों, होटल/मोटल/रेस्टोरेंटों आदि में धूम्रपान निषेध क्षेत्र-**"यहाँ धूम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है"** का साईन बोर्ड प्रदर्शित कराया जाए। राज्य के प्रमुख एवं प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों को **"तम्बाकू मुक्त"** घोषित किया जाय। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी पर्यटन कार्यालयों को **"तम्बाकू मुक्त"** बनाया जाये।

पंचायती राज विभाग

पंचायती राज विभाग से अपेक्षा है कि तम्बाकू नियंत्रण का प्रचार-प्रसार गाँव-गाँव तक कराया जाये। पंचायती राज विभाग द्वारा कतिपय गाँव अथवा पंचायतों को **"तम्बाकू मुक्त"** घोषित किया जाए ताकि

इसका संदेश दूर-दूर तक फैले। इसके अतरिक्त विशेष अभियान चलाकर यलो लाइन कैम्पन के माध्यम से सभी पंचायती राज कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाये।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों यथा-कार्यालयों, विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों व अन्य शासकीय भवनों में में यलो लाइन कैम्पेन हेतु निम्न क्रियाकलाप अपेक्षित है:-

- प्रतिष्ठानों/कार्यालयों के बाहरी बाउण्डरी/दिवारों पर पीली सीमा रेखा खींचकर तम्बाकू क्षेत्र का चिंन्हाकन करने हेतु पेन्ट करें तथा उस स्थान पर तम्बाकू मुक्त संस्थान (संस्थान का नाम) लिखें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वर्ष 2022 **"विश्व तम्बाकू निषेध दिवस-31 मई, 2022"** **"Tobacco:Threat to our Environment."** थीम पर मनाये जाने हेतु अपने विभाग से सम्बन्धित कार्ययोजना के अनुसार समस्त सम्बन्धितों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

पत्र संख्या- 712 (1)/पॉच-9-2022, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जन जागरूकता हेतु अपने स्तर से सर्व-संबंधित विभागों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से कि जनपद के समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करते-हुए कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश शर्मा)
विशेष सचिव।

Kamal-G.O